321
12/9/12

खण्ड - 9

संख्या - 11

सत्यमेव जयते

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

नवम् सत्र

(भाग-1, कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि : 8 जुलाई, 1988 ई०

---

(3) उपर्युक्त खंड-1 के उत्तर के आलोक में कब्जा मुक्त कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

योग्यता के आधार पर नामांकन

झ-96. श्री हिन्द केशरी यादव : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत तिरहुत शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय में नामांकन की सुविधा पहले योग्यता के आधार पर उपलब्ध थी;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व की भांति योग्यता के आधार पर योग्य चयनित उम्मीदवारों का नामांकन करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, युवा कार्य, खेल एवं संस्कृति विभाग : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) दिनांक 28 मार्च 1987 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें निर्णय किया गया है कि इस महाविद्यालय में छात्रों का नामांकन पूर्णतः योग्यता तथा एक स्टार शारीरिक क्षमता के आधार पर किया जाय और किसी प्रकार का डोनेसन छात्र से नहीं लिया जाय। निर्णय के आलोक में कार्यवाही जारी की जा रही है।

भवन का निर्माण

ए-53. श्री हिन्द केशरी यादव : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर

जिलान्तर्गत बोचहा प्रखंड में हथौड़ी थाना का निर्माण 1980 में किया गया जो किराये के मकान में चलता है, यदि हाँ ता सरकार उक्त थाना हेतु भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग : मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहा प्रखंड में नवसृजित हथौड़ी थाना का निर्माण 1980 में न होकर 7 अप्रील 1981 को हुआ था। उक्त थाना अभी किराये के मकान में चलता है। उक्त थाना हेतु एवं पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने हेतु स्थल चयन का कार्य चल रहा है। स्थल चयन के उपरान्त अग्रतर कार्रवाई अविलंब शुरू की जायेगी।

भवन निर्माण कार्य का कार्यान्वयन

सामु-134. श्री हिन्द केशरी यादव : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फपुर जिलान्तर्गत 1984-85 में मीनापुर प्रखंड के आर०एल०ई०जी०पी० योजना के अन्तर्गत प्रा०वि०, चकजमाल का भवन बनाने की स्वीकृति दी गई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कार्य अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, यदि हाँ तो इसका क्या कारण है तथा सरकार कब तक निर्माण कार्य पूरा कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि योजना के अभिकर्त्ता जनसेवक हैं। इनके द्वारा छत की ढलाई में की गई अनियमितता पाये जाने के कारण इन्हें निलम्बित किया गया है तथा **विभागीय कार्रवाई** चलाई जा रही है। कनीय अभियंता एवं प्रखंड विकास **पदाधिकारी** से भी स्पष्टीकरण